पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2130
दिनांक-22.11.2026

जोन- उत्तरी / थाना रहीमाबाद लखनऊ

- **थाना रहीमाबाद नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार**

01-कार्यवाही-

दिनांक 20.11.26 को नाबालिग लड़के भाई ने अपनी बहन और लडके को गाँव के घटनास्थल ग्राम मुडियारा लोधई मार्ग पर स्थित गांव के मकान में दोनो को पाया था जब लड़की के भाई ने उस लड़के को देखा तो लड़का भाग गया तत्पश्चात लड़की ने बताया कि उस लड़के ने मेरे साथ दुष्कर्म किया गया। तत्पश्चात वादी निवासी मुडियारा थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ द्वारा दी गयी लिखित तहरीर आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-189/2026 धारा 65(1)/352 बीएनएस व ¾(2) पाक्सो एक्ट व 3(2)(v) SC/ST Act** पंजीकृत किया गया। थाना रहीमाबाद टीम द्वारा सम्बन्धित बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 22.11.2026 को पुलिस उपायुक्त उत्तरी के निर्देशन में थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 189/2026 धारा 65(1)/352 बीएनएस व ¾(2) पाक्सो एक्ट व 3(2)(v) SC/ST Act में त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम गोपालपुर मोड़ से एक नाबालिग बालक को संरक्षण में लिया गया। नाबालिग होने के दृष्टिगत किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मौके पर अन्तर्गत धारा 105 बीएनएसएस की कार्यवाही करते हुए मल्टीमीडिया मोबाइल के माध्यम वीडियो बनवाया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के पिता के मो0नं0 पर पर दी गयी। दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अभियुक्त:-बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

01. उ0नि0 उपेन्द्र यादव थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ
02. उ0नि0 श्री इन्द्रजीत सिंह थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ
03. का0 मोहित कुमार थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2131

दिनांक- 22.11.2026

जोन-उत्तरी/थाना – जानकीपुरम

लोटस पोर्टिको, जानकीपुरम के पास मिले दीपक कश्यप के शव की गुत्थी सुलझी, पत्नी गिरफ्तार; प्रेमी के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश।

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17.11.2026 को लोटस पोर्टिको ओरोसिटी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला था। जिसकी पहचान दीपक कुमार कश्यप पुत्र मौजीलाल निवासी ग्राम मोहउद्दीपुर महमूदाबाद सीतापुर के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम में हत्या होने की पुष्टि हुई थी। मृतक के भाई के रामू कश्यप पुत्र मौजीलाल निवासी ग्राम मोहद्दीपुर जनपद सीतापुर के तहरीर के आधार पर थाना जानकीपुरम पर मु0अ0स0 226/26 धारा 103(1)/238/61(2) BNS बनाम ज्योति कश्यप व अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारीगण द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु डीसीपी उत्तरी की स्वाट/सर्विलांस टीम एवं थाना जानकीपुरम पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई। गठित पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन अवलोकन, मोबाइल सर्विलांस तथा अन्य तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों का संकलन एवं विश्लेषण करते हुए घटना में शामिल अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

02. घटना के अनावरण एवं पुलिस कार्यवाही का विवरण-

घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकरण में मृतक की पत्नी ज्योति को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ मे अभियुक्ता ने बताया कि मृतक दीपक से तीसरी शादी थी। इसके दूसरे पति से एक 6 साल की बेटी है। 2023 में दीपक से शादी की, दीपक की भी यह दूसरी थी। दीपक की पहली शादी से 3 बच्चे थे। शादी के बाद दीपक और ज्योति अपने बच्चों के साथ थाना गुडम्बा क्षेत्र में ज्योति के माता पिता के साथ रहते थे। लगभग डेढ़ साल पहले CMS स्कूल अलीगंज में पति दीपक ड्राइवर का और यह आया का कार्य करने लगे।

जिसके चलते अपने सभी बच्चों को ज्योति के माता पिता के पास छोड़ स्कूल के पास रहने के लिए कमरा ले लिया। जब से यहां आए तब से पति दीपक का व्यवहार बदल गया। मेरे साथ शराब पीकर मारपीट करता था। दीपक अक्सर खुद दारु पीता था तथा अभियुक्ता को भी दारु पिलाता था रात मे अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए मजबूर करता था। लगभग 1 साल पहले दीपक के दोस्त मनोज के संपर्क में आई। दीपक शराब पीने के लिए इसे घर लाया था। फिर हम दोनो लोग मिलने लगे जिसको देख कर दीपक अक्सर नाराज होता था।

ज्योति ने अपनी परेशानी मनोज को बताई थी। तलाक लेने के लिए कहा था, किंतु यह इसकी तीसरी शादी थी इसी की बदनामी होती की अपने पति बदलती रहती है, मां बाप का भी सहयोग नहीं था। इसलिए बर्दाश्त करती रही। लगभग 1 महीने पहले दीपक की बेटी जो इसके मा बाप के साथ रह रही थी बिना बताए घर छोड़ कर चली गई जिसके संबंध में थाना जानकीपुरम पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसके बाद मेरे बाप ने कहा कि अपने बच्चे अपने पास रखे हम नहीं सम्भाल पाएंगे। मेरी बेटी और दीपक के अन्य दो बच्चे हमारे साथ आ गए।

लगभग 15 दिन पहले मैने दीपक को मेरी 6 साल की बेटी को अश्लिल वीडियो दिखाते हुए, गलत तरीके से टच करते देखा था। तंग आकर मनोज को बताया कि दीपक से परेशान हो गयी हूँ अब मुझे बरदाश्त नही हो रहा है। इस पर हम दोनो ने दीपक को मार डालने की योजना बनाई।

घटना वाले दिन दिनांक 16/11/2026 को रात में दीपक ने शराब पी थी। मुझे भी शराब पीने के लिए विवश किया था किंतु पी नहीं। देर रात मैने अपनी तबियत खराब होने और डॉक्टर के पास जाने के लिए बताया। फोन कर के मनोज को बुलाया। मनोज की मोटरसाइल पर हम तीनों ओरो सिटी के पास घटनास्थल पहुंचे। वहा उल्टी करने के बहाने उतरे, दीपक और मनोज आपस में बात कर रहे थे और पीछे से ईंट से दीपक पर वार कर दिया। तथा बाइक में पड़े कपड़े को मुह में ठूस कर,पैर से गला दबाकर हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद दोनो अभियुक्तगण फरार हो गये थे।

पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सर्विलांस एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की पहचान करते हुए उनकी तलाश की गई। इसी क्रम में थाना जानकीपुरम पुलिस एवं डीसीपी उत्तरी की स्वाट/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में छुईयापुरवा ठेके के बगल पेड़ के पीछे रोड के किनारे से अभियुक्ता ज्योति कश्यप पत्नी स्व0 दीपक कश्यप निवासिनी- ग्राम काशीपुरवा थाना बदोसराय जिला बाराबंकी हाल पता- छुईयापुरवा पानी की टंकी के पास थाना जानकीपुरम लखनऊ उम्र- करीब 25 वर्ष को समय 08.10 बजे गिरफ्तार किया गया। मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0स0 226/26 धारा 103(1)/238/61(2) BNS बीएनएस थाना जानकीपुरम लखनऊ

04.गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:-

1. ज्योति कश्यप पत्नी स्व0 दीपक कश्यप निवासिनी- ग्राम काशीपुरवा थाना बदोसराय जिला बाराबंकी हाल पता- छुईयापुरवा पानी की टंकी के पास थाना जानकीपुरम लखनऊ उम्र- करीब 25 वर्ष (व्यवसाय-आया का काम)

05. फरार अभियुक्त का विवरण:

- मनोज पुत्र कालिका प्रसाद, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम छुईया पुरवा, थाना गुडंबा, जनपद लखनऊ (हाल पता), स्थायी पता ग्राम त्रिलोकपुर, जनपद सीतापुर। अभियुक्त सीएमएस अलीगंज स्कूल में वैन चालक के रूप में कार्य करता था।

06. बरामदगी का विवरण :-

घटना में प्रयुक्त ईट

07. गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

स्वाट/सर्विलांस टीम, डीसीपी उत्तरी

1. **उ0नि0 दीपक कुमार** – प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम।
2. हे0का0 नदीम।
3. हे0का0 अवधेश गिरी।
4. हे0का0 संतोष कुमार।
5. हे0का0 अमित कुमार गौतम।
6. का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह।
7. का0 विशेष दुहूण।
8. का0 अमन शुक्ला।

थाना जानकीपुरम पुलिस टीम

1. **प्र0नि0 विनोद कुमार तिवारी।**
2. अति0नि0 मु0 मैराज खाँ।
3. उ0नि0 विकास सिंह।
4. उ0नि0 सत्यपाल सिंह।
5. उ0नि0 अनुभव।
6. उ0नि0 सौरव।
7. म0उ0नि0 संजू मिश्रा।
8. म0हे0का0 शैलेश कुमारी।
9. म0का0 सीमा।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2132
दिनांक-22.11.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गोमतीनगर विस्तार

पेमेन्ट के लेन-देन के विवाद में जान से मारने की नीयत से पिस्टल से फायरिंग करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, वाराणसी से हुई गिरफ्तारी

- **दिनांक 16.11.2026 को ग्रीनवुड चौराहा, सेक्टर-01, गोमतीनगर विस्तार में भुगतान के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में पिस्टल से फायरिंग की घटना कारित की गई थी।**
- **घटना के संबंध में थाना गोमतीनगर विस्तार पर मु0अ0सं0-214/2026 धारा 109(1)/352/3(5) बीएनएस एवं धारा 7 सीएलए एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।**
- **सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर एवं अन्य तकनीकी/भौतिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त की पहचान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की।**
- **थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस एवं थाना शिवपुर, वाराणसी की संयुक्त कार्रवाई में अभियुक्त शेखर कौशल गिरफ्तार।**
- **जनपद वाराणसी के चांदमारी स्थित होटल से अभियुक्त की गिरफ्तारी।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध लखनऊ सहित विभिन्न जनपदों में पूर्व से 09 आपराधिक अभियोग पंजीकृत।**

01. घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 16.11.2026 को **वादी मुकदमा श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह** पुत्र बच्चा सिंह निवासी ग्राम सहतवार, थाना सहतवार, जनपद बलिया, हाल पता सुलभ आवास, सेक्टर-06, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गई कि **दिनांक 16.11.2026 को समय करीब 17:00 बजे से 17:30 बजे** के मध्य वह **ग्रीनवुड चौराहा,** सेक्टर-01, गोमतीनगर विस्तार स्थित एक चाय की दुकान पर खड़े थे। इसी दौरान भुगतान के लेन-देन को लेकर **विपक्षीगण से विवाद** हो गया, जिस पर विपक्षीगण द्वारा उनके साथ **गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से पिस्टल से फायरिंग** की गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गोमतीनगर विस्तार पर **मु0अ0सं0-214/2026 धारा 109(1)/352/3(5) बीएनएस एवं धारा 7 सीएलए एक्ट** के अंतर्गत अभियुक्त शेखर कौशल व स्कॉर्पियो वाहन पर सवार अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

02. पुलिस की विवेचनात्मक कार्रवाई एवं गिरफ्तारी

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस टीम द्वारा **तत्काल घटनास्थल एवं उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज** का गहनता से अवलोकन किया गया। इसके अतिरिक्त सीडीआर लोकेशन, सुरागरसी-पतारसी एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे।

इसी क्रम में **विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान उच्चाधिकारीगण** से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर उपनिरीक्षक संदीप कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा अभियुक्त की तलाश में जनपद वाराणसी पहुंचकर थाना शिवपुर की स्थानीय पुलिस से समन्वय स्थापित किया गया।

स्थानीय पुलिस के सहयोग से दिनांक **21.11.2026** को **होटल रोड हाउस इन, बीडीए कॉलोनी, चांदमारी, थाना शिवपुर, जनपद वाराणसी** से मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त **शेखर कौशल** को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के उपरान्त **आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत** किया जा रहा है। प्रकरण में अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

03. अनावरित अभियोग का विवरण

- **मु0अ0सं0-214/2026** धारा 109(1)/352/3(5) बीएनएस एवं धारा 7 सीएलए एक्ट। थाना- गोमतीनगर विस्तार, कमिश्नरेट लखनऊ।

04. गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- **शेखर कौशल पुत्र राजकुमार कौशल**, निवासी 3/216, वास्तु खण्ड, गोमतीनगर, थाना विभूतिखण्ड, जनपद लखनऊ। मूल निवासी- महराजगंज तराई, थाना महाराजगंज, जनपद बलरामपुर। उम्र करीब 27 वर्ष।

05. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से विभिन्न थानों एवं जनपदों में कुल 09 अभियोग पंजीकृत हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है-

1. **मु0अ0सं0-701/2019,** धारा 323, 504, 506 भादवि एवं 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट, थाना चिनहट, लखनऊ।
2. **मु0अ0सं0-1255/2019**, धारा 147, 323, 334, 427, 452 भादवि, थाना चिनहट, लखनऊ।
3. **मु0अ0सं0-589/2022**, धारा 147, 148, 149, 307, 323, 336, 34, 341, 427 भादवि, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ।
4. **मु0अ0सं0-256/2023**, धारा 5, 7, 25 आर्म्स एक्ट, थाना दादरी, जनपद गौतमबुद्ध नगर।
5. **मु0अ0सं0-285/2023,** धारा 279, 283, 336 भादवि, थाना बीबीडी, लखनऊ।
6. **मु0अ0सं0-074/2024**, धारा 504, 506 भादवि, थाना बीबीडी, लखनऊ।
7. **मु0अ0सं0-238/2024,** धारा 147, 148, 149, 307, 120बी भादवि एवं 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना चिनहट, लखनऊ।
8. **मु0अ0सं0-239/2024**, धारा 307 भादवि, थाना चिनहट, लखनऊ।
9. **मु0अ0सं0-326/2025,** धारा 109(1) बीएनएस, 7/25 आयुध अधिनियम एवं 7 सीएलए एक्ट, थाना चिनहट, लखनऊ।

06. गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस टीम एवं सर्विलांस टीम, पूर्वी जोन

1. उ0नि0 संदीप कुमार सिंह, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
2. उ0नि0 मिथलेश सिंह, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
3. उ0नि0 लवलेश सिंह, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
4. का0 प्रदीप कुमार, सर्विलांस टीम, पूर्वी जोन, लखनऊ।